रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249647 CG-DL-E-23102023-249647

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726] No. 726] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसुचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2023

सं. ए-24/2/(2)/2023-ए एंड पी.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

भारतीय दूरसंचार विनयािमक प्राधिकरण (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2023

(2023 का 5)

अध्याय-।

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
 - (2) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं-(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हों, -
 - क) "अधिनियम" का अर्थ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है;

6727 GI/2023 (1)

- ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ अध्यक्ष, या सदस्य या अधिकारी से है, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शक्तियां और कार्य प्रत्यायोजित किए गए हैं;
- ग) "प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है:
- घ) "ग्रेड" का अर्थ विनियम 3 और 4 में यथा विनिर्दिष्ट ग्रेड से है:
- ङ) "पद" का अर्थ ग्रेड में किसी भी स्थायी या अस्थायी पद से है, जो इन विनियमों की अनुसूची में वर्णित हों;
- च) "नियम" का अर्थ अधिनियम की धारा 35 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है;
- छ) "चयन समित" का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन पर विचार करने के लिए अनुसूची के अनुसार गठित समित से है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो यहां परिभाषित नहीं हैं मगर अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा, जो उनके लिए अधिनियम में दिया गया है।
- 3. अधिकारी संवर्ग का गठन-(1) अधिकारी संवर्ग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे -
 - (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के विनियम 4 के तहत प्राधिकरण के संवर्ग में प्रारंभिक गठन के समय आमेलित व्यक्ति;
 - (ख) संवर्ग के प्रारंभिक गठन के बाद, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के विनियम 5 तहत पद पर नियुक्त व्यक्ति, जिसमें उक्त विनियमों के विनियम 10क के तहत स्थायी रूप से आमेलित अधिकारी शामिल हैं; और
 - (ग) इन विनियमों के विनियम 6, विनियम 7 और विनियम 8 के उप-विनियम (2) के तहत उप-विनियम (2) में सूचीबद्ध किसी भी ग्रेड में पद पर नियुक्त व्यक्ति।
- (2) प्राधिकरण के अधिकारी संवर्ग में निम्नलिखित ग्रेड होंगे:

क्र. सं.	ग्रेड	वेतनमान
1.	सचिव	
2.	प्रधान सलाहकार	
3.	सलाहकार	
4.	संयुक्त सलाहकार	1) समय-सयम पर यथा लागू नियमों द्वारा निर्धारित
5.	उप-सलाहकार/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	वेतनमानों के अनुसार
6.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/प्रधान निजी सचिव	-2) नियमों द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य नियम एवं शर्तें
7.	तकनीकी अधिकारी	
	अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/ पुस्तकालयाध्यक्ष / निजी सचिव	

- (3) प्राधिकरण समय-समय पर, आवश्यक होने पर अधिकारी संवर्ग में ग्रेड और पदों की संख्या निर्धारित कर सकता है।
- 4. कर्मचारी संवर्ग का गठन-(1) कर्मचारी संवर्ग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे-
 - (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के विनियम 15 के तहत प्राधिकरण के संवर्ग में प्रारंभिक गठन के समय आमेलित व्यक्ति:

- (ख) संवर्ग के प्रारंभिक गठन के बाद, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के विनियम 16 के तहत पद पर नियुक्त व्यक्ति, जिसमें उक्त विनियमों के विनियम 21क के तहत स्थायी रूप से आमेलित कर्मचारी शामिल हैं; और
- (ग) इन विनियमों के विनियम 6, विनियम 7 और विनियम 8 के उप-विनियम (2) के तहत उप-विनियम (2) में सूचीबद्ध किसी भी ग्रेड में, पद पर नियुक्त व्यक्ति।
- (2) प्राधिकरण के कर्मचारी संवर्ग में निम्नलिखित ग्रेड होंगे:

क्र. सं.	ग्रेड	वेतनमान
1.	सहायक / वैयक्तिक सहायक / कनिष्ठ लेखा अधिकारी	
2.	अवर श्रेणी लिपिक	
3.	स्टाफ कार ड्राइवर (स्पेशल ग्रेड)] 1) समय-सयम पर यथा लागू नियमों द्वारा
4.	स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड -I)	निर्धारित वेतनमानों के अनुसार
5.	स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड -II)	2) नियमों द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य नियम
6.	स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	एवं शर्तें
7.	फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर	
8.	डिस्पैच राइडर	
9.	मल्टी टॉस्किंग स्टाफ	

(3) प्राधिकरण समय-समय पर, आवश्यक होने पर कर्मचारी संवर्ग में ग्रेड और पदों की संख्या निर्धारित कर सकता है।

अध्याय -II नियक्ति की शर्तें एवं प्रक्रिया

- 5. भर्ती की पद्धितयां–(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने के बाद, यदि इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी ग्रेड में रिक्ति होती है या अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग में किसी भी ग्रेड में नए पद सृजित किए जाते हैं, तो इसे अनुसूची में निर्दिष्ट पद्धित से भरा जाएगा।
- (2) उप-विनियम (1) के तहत किसी भी मामले में नियुक्ति, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
- (3) जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा प्रावधान न किया जाए, प्राधिकरण समय-समय पर अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट कर सकता है।
- 6. सीधी भर्ती– इन विनियमों की अनुसूची के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने योग्य विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:-
 - (क) रिक्तियों के विज्ञापन कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा;
 - (ख) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए या व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी से होना चाहिए, जो समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;
 - (ग) वो व्यक्ति -
 - (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का अनुबंध किया है, जिसकी पत्नी/पति जीवित है, या
 - (ii) जिसकी पति/पत्नी जीवित है और उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,-ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु प्राधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह, उक्त व्यक्ति और विवाह के लिए दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के तहत अनुमेय है और कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो इस खंड के प्रवर्तन से ऐसे व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकता है;

- (घ) सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता और आयुसीमा वो होगी, जो विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है:
- (ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा़ वर्ग, नागरिकों के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण पर केन्द्र सरकार के यथा लागू आदेश एवं नीतियां, जो आवेदन आमंत्रित करने के समय लागू हों, इन पदों पर लागू होंगी;
- (च) चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा या तकनीकी मूल्यांकन या साक्षात्कार या इनका संयोजन या कोई अन्य प्रक्रिया, जो चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाए, शामिल की जा सकती हैं:

परंतु प्राधिकरण यदि ऐसा करना उचित समझें, तो वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं यथा GATE, NET, PG-CLAT, इत्यादि में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार उन्हें तकनीकी मूल्यांकन/साक्षात्कार के लिए बुला सकता है:

- (छ) चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा, जो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार के प्रदर्शन, योग्यता और नौकरी अनुभव और ऐसे अन्य मानदंड, जो उसे उचित लगें, को उपयुक्त भारांक (वेटेज) दे सकती है;
- (ज) यदि प्राधिकरण उचित समझें तो वो उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन का कार्य किसी पेशेवर एजेंसी को सौंप सकता है, जो ऐसे काम में संलग्न है और यदि किसी सरकारी भर्ती निकाय यथा यूपीएससी, एसएससी इत्यादि के माध्यम से भर्ती की जाती है तो ऐसे निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती की प्रक्रिया लागू होगी;
- (झ) नियुक्ति प्राधिकारी चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों का पैनल बना सकता है, जिन्हें भविष्य में होने वाली रिक्तियों पर नियोजन की पेशकश की जा सकती है:

परंतु पैनल की वैधता, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसको स्वीकृति देने की तिथि से 12 माह से अधिक नहीं होगी;

(ञ) उम्मीदवार, जो प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा जांच के बाद, अच्छी मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य वाला नहीं पाया जाता है, या उसमें ऐसी कोई मानसिक या शारीरिक कमी पाई जाती है, जिनसे सेवा के कार्यों के निर्वहन में बाधा आने की संभावना है, उसे पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा;

परंतु किसी उम्मीवार की चिकित्सा जांच का अर्थ चयन या नियुक्ति नहीं होगा;

(ट) सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा नियुक्त उम्मीवारों को दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा और उनके द्वारा परिवीक्षा अवधि पूरी करने और प्राधिकरण द्वारा उनकी सेवाएं और आचरण संतोषजनक पाए जाने के बाद ही उन्हें स्थायी/नियमित किया जाएगा:

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी कारणों को लिखित में दर्ज करके, परिवीक्षा अवधि को कम या इसकी आवश्यकता को समाप्त कर सकता है:

परंतु यह भी कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर किसी अधिकारी या कर्मचारी को संवर्ग में स्थायी/नियमित माना जाएगा, जब तक कि परिवीक्षा अवधि के दौरान, उम्मीदवार की सेवाएं और आचरण सतोषजनक न पाई जाएं:

परंतु यह भी कि यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान, उम्मीदवार की सेवाएं और आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्राधिकरण -

- (i) परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है ताकि उम्मीवार को सुधार का एक अवसर मिल सकें; या
- (ii) एक माह का नोटिस देकर या इसके स्थान पर एक माह का मूल पद वेतन का भुगतान करके ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त कर सकता है।
- 7. पदोन्नति– इन विनियमों की अनुसूची के अनुसार, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा: -
 - (क) विभिन्न ग्रेड में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित निचले ग्रेड से की जाएगी; और
 - (ख) चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन किया जाएगा।

- 8. प्रतिनियुक्ति और स्थायी आमेलन- (1) इन विनियमों की अनुसूची के अनुसार, प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा: -
 - (क) रिक्तियों को ऐसे मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र सरकार के सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा, जिनसे प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप योग्यता और अनुभव वाले लोग होने की उम्मीद की जाती है और जो प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में शामिल होने के इच्छुक हो सकते हैं;
 - (ख) प्राधिकरण के कैडर के अधिकारी और अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले सचिव, प्रधान सलाहकार और सलाहकार के पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र हो सकते हैं:

परंतु प्रतिनियुक्ति द्वारा चयन हेतु विनिर्दिष्ट आयुसीमा ऐसे अधिकारियों पर लागू नहीं होगी:

परंतु यदि प्राधिकरण के संवर्ग के किसी अधिकारी को इन विनियमों के तहत प्रतिनियुक्ति के आधार पर चुना और नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति उस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से पदोन्नति मानी जाएगी, जिस पर उसका चयन किया गया है और प्राधिकरण में ऐसे अधिकारी द्वारा, प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऐसी नियुक्ति से पहले और बाद में की गई सेवा की गणना सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए की जाएगी:

- (ग) (i) सचिव, प्रधान सलाहकारों और सलाहकारों के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम आयु किसी भी स्थिति में पदों को भरने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अट्ठावन वर्ष या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (ii) संयुक्त सलाहकार, स्टाफ अधिकारी, उप-सलाहकार, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, प्रधान निजी सचिव, तकनीकी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष, निजी सचिव, सहायक और वैयक्तिक सहायक के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु किसी भी स्थिति में पदों को भरने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर छप्पन वर्ष या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (घ) चयन समिति की सिफारिशों पर चयन किया जाएगा, जो मूल मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त निकाय में प्रदर्शन, उम्मीदवार की उपयुक्तता और सापेक्ष योग्यता एवं उचित समझे गए अन्य मानदंड आदि को उचित भारांकन (वेटेज) दे सकता है; और
- (ङ) प्राधिकरण में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परंतु प्राधिकरण, जहां वह ऐसा करना उचित समझे, किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति की अवधि को पांच वर्ष से अधिक, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे तरीके से बढ़ा सकता है जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, उचित आदेश द्वारा, उप-विनियम (1) के तहत प्रतिनियुक्ति के आधार पर उक्त पद पर पहले से नियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्थायी आमेलन के आधार पर पद पर नियुक्त कर सकता है, -
 - (क) चयन समिति की सिफारिशों पर, जो प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति की सापेक्ष योग्यता, उपयुक्तता, आवश्यकता और ऐसे अन्य मानदंडों पर विचार कर सकती है जो वह उचित समझे, और
 - (ख) मूल मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त निकाय, जैसा भी मामला हो, के परामर्श से,:

परंतु किसी भी व्यक्ति को आमेलन के आधार पर तभी नियुक्त किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति ने, -

- (i) प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर, प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित होने के लिए लिखित रूप में सम्मति दी है;
- (ii) अनुशासनात्मक और सतर्कता दृष्टिकोण से मुक्त पाया गया हो; और
- (iii) उस ग्रेड में प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी की हो।
- 9. वेतन निर्धारण प्राधिकरण में नियुक्ति पर वेतन, नियुक्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू संबंधित नियमों या विनियमों या निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- 10. विरिष्ठता– (1) सीधी भर्ती द्वारा एक ही ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता, चयन समिति द्वारा निर्दिष्ट योग्यता के क्रम से निर्धारित की जाएगी, और पहले के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों को बाद के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर वरिष्ठता प्रदान की जाएगी।

(2) पदोन्नति के आधार पर एक ही ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता, उस निचले ग्रेड में उनकी सापेक्ष वरिष्ठता द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिससे उन्हें पदोन्नति दी गई है :

परंतु यदि किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अयोग्य माना जाता है और किसी कनिष्ठ द्वारा उनको अधिक्रमित किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है और पदोन्नत किया जाता है, तो वह उच्च ग्रेड में उन कनिष्ठों के ऊपर वरिष्ठता नहीं लेगा. जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को अधिक्रमित किया था।

- (3) उप-विनियम (1) और (2) के अंतर्गत नहीं आने वाले ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता, संबंधित संवर्ग, ग्रेड या श्रेणी के केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागृ नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- (4) आमेलन के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण, ऐसे आमेलन की तारीख से पहले अगले उच्च ग्रेड में की गई किसी भी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा।
- (5) उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति की वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (6) प्राधिकरण के संवर्ग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की एक सूची, जिसमें उनके नाम, उनकी वरिष्ठता के क्रम में, और ऐसे अन्य विवरण जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, के साथ नियत अंतराल पर वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित की जाएंगी और ऐसी सूची की एक प्रति प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाएगी।
- 11. संविदा पर नियुक्ति– इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण उसके द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर संविदा के आधार पर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है,:

परंतु किसी व्यक्ति को केवल कार्य की तात्कालिक आवश्यकता में, अल्पावधि में प्राधिकरण की जरुरतों को पूरा करने के लिए, अवधि, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

- 12. भारत में या भारत से बाहर सेवा के दायित्व- संवर्ग में नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 13. कितपय मामलों में उच्चतर ग्रेड और निचले ग्रेड के कार्यों का निर्वहन– नियुक्ति प्राधिकारी, आदेश द्वारा, सेवा की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, किसी अधिकारी या कर्मचारी को, एक विशिष्ट ग्रेड में पदभार संभालते समय, ऐसी अविध के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित ग्रेड के कार्यों को करने का निर्देश दे सकता है
 - (क) बिना किसी आर्थिक लाभ के अगला उच्चतर ग्रेड,; या
 - (ख) बिना किसी आर्थिक या अन्य हानि के तत्काल निचला ग्रेड।

अध्याय III - विविध

- 14. **छूट देने की शक्ति** जहां प्राधिकरण की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वह आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में, विनियमों के किसी भी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकता है। ।
- 15. व्याख्या– यदि इन विनियमों की व्याख्या और परिणामी कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो उनका निर्णय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और प्राधिकरण का ऐसा निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- **16. कठिनाइयों का समाधान–** प्राधिकरण, समय-समय पर, ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान के संचालन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। .
- 17. गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (1) प्राधिकरण के संवर्ग का और सलाहकार का पद धारण करने वाला अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा योग्य और उपयुक्त पाए जाने के अधीन, सलाहकार ग्रेड (एल-14) या किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रधान सलाहकार (एल-15) के अगले उच्चतर ग्रेड में वित्तीय उन्नयन का पात्र होगा।
- (2) प्राधिकरण के संवर्ग का और संयुक्त सलाहकार का पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा योग्य और उपयुक्त पाए जाने के अधीन, संयुक्त सलाहकार (एल-13) या किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा पूरी करने पर सलाहकार के अगले उच्चतर ग्रेड (एल-14) में वित्तीय उन्नयन का पात्र होगा। .
- (3) प्राधिकरण के संवर्ग का और निजी सचिव का पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा योग्य और उपयुक्त पाए जाने के अधीन, निजी सचिव (एल-7) या किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर एल-9 के गैर-कार्यात्मक ग्रेड में वित्तीय उन्नयन का पात्र होगा।
- (4) उप-विनियम (1), (2), और (3) में उल्लिखित वित्तीय उन्नयन के लिए "आठ वर्ष की सेवा" या "चार वर्ष की सेवा" की गणना के उद्देश्य से, ऐसी सेवा का अर्थ अधिकारी के मूल संवर्ग में या किसी अन्य संगठन या प्राधिकरण में संगत ग्रेड में किसी भी नियमित सेवा से होगा।

- (5) उप-विनियम (1), (2), और (3) के अनुसार दिए गए वित्तीय उन्नयन को उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के रूप में नहीं माना जाएगा और यह गैर-कार्यात्मक आधार पर होगा।
- 18. निरसन और व्यावृति (1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति), विनियम, 2001 (2001 का 2) का इसके द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) इस तरह के निरसन के बावजूद, उक्त विनियम के तहत किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई इन विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या ली गई मानी जाएगी।
- (3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2023 के प्रारंभ होने से पहले नियुक्त और फीडर ग्रेड में पद वाले व्यक्तियों के नाम पर अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाता रहेगा और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के अन्य सभी प्रावधान, जो ऐसे प्रारंभ से पहले थे, ऐसे संशोधन से पहले नियुक्त ऐसे व्यक्तियों पर लागू होते रहेंगे।

अनुसूची

	1	अंध्रुप्ता								
क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और	सीधी भर्ती			प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता और	चयन समिति			
		विभिन्न पद्धतियों	हेतु		लिए अपेक्षित	अनुभव	की संरचना			
		द्वारा भरी जाने	अधिकतम	योग्यता और	सेवा अवधि					
		वाली रिक्तियों का	आयु	अनुभव						
		प्रतिशत								
(1)	सचिव	शत-प्रतिशत पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	अध्यक्ष–			
		प्रतिनियुक्ति /				और सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के	प्राधिकरण के			
		आमेलन द्वारा				अधिकारी, जो -	अध्यक्ष			
						 (क) मूल पद आधार पर लेवल-15 में				
						किसी पद को धारित करते हों; या	सदस्य–			
						 (ख) जिन्हें लेवल-15 में गैर-कार्यात्मक	प्राधिकरण के			
						्र उन्नयन प्रदान किया गया है और लेवल-	पूर्णकालिक			
						14 में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी	ू सदस्य, यदि			
						कर ली है।	उपलब्ध हैं			
						 निम्नलिखित में से किसी एक पद या पदों				
						पर काम करने वालों को वरीयता दी				
						जाएगी: –				
						(i) वरिष्ठ प्रबंधकीय पद;				
						(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय				
						से दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की				
						डिग्री या समकक्ष;				
						(iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से				
						्र इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार				
						इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री				
						या समकक्ष;				
						(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय				
						से एमबीए की डिग्री या समकक्ष।				
						 (v) अर्थशास्त्र/वाणिज्य में मास्टर डिग्री				
						र / या अर्थशास्त्र/वाणिज्य में डॉक्टरेट डिग्री				

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	हेतु अधिकतम	हेतु अपेक्षित योग्यता और	लिए	योग्यता और अनुभव	चयन समिति की संरचना
(2)		शत-प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं		एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जो - (क) नियमित आधार पर लेवल-15 में समान पद को धारित करते हों; या (ख) लेवल-14 में चार वर्ष	प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्य– प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य, यदि उपलब्ध हैं
(3)	सलाहकार	शत-प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं		एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जो - (क) लेवल-14 में नियमित आधार पर समान पद धारित करते हों; या (ख) लेवल-13 में चार वर्ष	अध्यक्ष– प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्य– प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य, यदि उपलब्ध हैं

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा अवधि	प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	चयन समिति की संरचना
1	सलाहकार	(क) पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा (ख) पचास प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं		के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा	क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जो - (क) लेवल-13 में नियमित आधार पर समान पद धारित करते हों; या (ख) लेवल-12 में पांच	हैं तो सचिव
, ,	सलाहकार	शत-प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	लागू नहीं		अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा	क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारी, - (क) लेवल-12 में नियमित आधार पर समान पद	(एएडपी) (ख) सलाहकार

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती	पदोन्नति के	प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित	चयन
क्र.स.	ุ นูธ 	निता पद्धात आर विभिन्न पद्धतियों	_		लिए अपेक्षित	योग्यता और अनुभव	समिति की
		ावामन्त पद्धातया द्वारा भरी जाने	हेतु अधिकारम	. •	ालए अपाक्षत सेवा अवधि	याग्यता आर अनुमय	सामात का संरचना
					सवा अवाध		सरचना
		वाली रिक्तियों का प्रतिशत	आयु	अनुभव			
		אומאומ					
(6)	वरिष्ठ	शत-प्रतिशत पद	लागू नहीं	लागू नहीं		केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र	अध्यक्ष–
	प्रधान	पदोन्नति द्वारा,					सचिव
	निजी	जिसके नहीं होने पर			में चार वर्ष की	एवं स्वायत्त निकायों के	
	सचिव	प्रतिनियुक्ति या			नियमित सेवा	अधिकारी, जो -	
		आमेलन द्वारा				(क) नियमित आधार पर	सदस्य –
						 वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	(क)
						 या समकक्ष पद के ग्रेड में	सलाहकार
						लेवल 12 में समान पद	(एएंडपी)
						धारित करते हों; या	(ख)
						 (ख) प्रधान निजी सचिव के	सलाहकार
						ग्रेड में लेवल-11 में चार वर्ष	
						क्री नियमित सेवा।	
			^:	0:	0.0		
(7)		शत-प्रतिशत पद	लागू नहीं	लागू नहीं		केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र	
	_	पदोन्नति द्वारा,					सचिव
	अधिकारी	जिसके नहीं होने पर				एवं स्वायत्त निकायों के	
		प्रतिनियुक्ति या			की नियमित	अधिकारी, जो -	सदस्य –
		आमेलन द्वारा			सेवा	(क) नियमित आधार पर	
						लेवल-11 में समान पद	(ক)
						धारित करते हों; या	सलाहकार
						 (ख) लेवल-10 में चार वर्ष	(एएंडपी)
						, , की नियमित सेवा; या	(ख)
							सलाहकार
						(ग) लेवल-10 और अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में सात वर्ष	
						की संयुक्त नियमित सेवा, जिसमें से एक वर्ष की	
						ाजसम् स एक वर्ष का न्यूनतम नियमित सेवा	
						न्यूनतम ।नयामत सवा लेवल-10 में होनी चाहिए	
						लायल-१० म हाना चाहिए	

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती	पदोन्नति के	प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित	चयन समिति
		विभिन्न पद्धतियों	हेतु	हेतु अपेक्षित	लिए अपेक्षित	योग्यता और अनुभव	की संरचना
		द्वारा भरी जाने वाली	अधिकतम	योग्यता और	सेवा अवधि		
		रिक्तियों का प्रतिशत	आयु	अनुभव			
(8)	प्रधान	शत-प्रतिशत पद	लागू नहीं			केंद्र सरकार, सार्वजनिक	अध्यक्ष–
	निजी	पदोन्नति द्वारा,			ग्रेड में सात वर्ष	क्षेत्र के उपक्रमों और	सचिव
	सचिव	जिसके नहीं होने पर			की नियमित	सांविधिक एवं स्वायत्त	
		प्रतिनियुक्ति या			सेवा	निकायों के अधिकारी, जो-	सदस्य –
		आमेलन द्वारा				(क) नियमित आधार पर	
						प्रधान निजी सचिव या	(क) सन्दर्भ
						समकक्ष पद के ग्रेड में	सलाहकार (प्रांचरी)
						लेवल-11 में समान पद	(एएंडपी)
						धारित करते हों; या	(ख) संबंधित
							प्रभाग के
						(ख) निजी सचिव के ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा	सलाहकार
						तात नन ति गिनामत तना	

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत		सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा अवधि	प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	चयन समिति की संरचना
(9)	अधिकारी	(क) पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, (ख) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	तीस वर्ष	परंतु भरे जाने वाले पद के अनुसार, आवश्यकता के	अधिकारी के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा	केंद्र सरकार, सार्वजिनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जो - (क) समान पद धारित करते हों; या (ख) अनुभाग अधिकारी या समान पद के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित	अध्यक्ष– सचिव सदस्य – (क) सलाहकार (एएंडपी) (ख) सलाहकार
	अधिकारी/ पुस्काल- याध्यक्ष	शत-प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	लागू नहीं		ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा	केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जो - (क) नियमित आधार पर समान पद धारित करते हों, या (ख) सहायक के ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा	अध्यक्ष – सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– (क) संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप- सलाहकार (एएंडपी) (ख) संयुक्त सलाहकार या उप-सलाहकार

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	हेतु अधिकतम	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा अवधि	प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	चयन समिति की संरचना
1 -	सचिव	शत-प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	लागू नहीं	• • •	सेवा	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जो - (क) नियमित आधार पर समान पद धारित करते हों, या (ख) वैयक्तिक सहायक के ग्रेड में	अध्यक्ष – सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– (क) संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप- सलाहकार (एएंडपी) (ख) संयुक्त सलाहकार या उप-
(12)		(क) नब्बे प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा (ख) दस प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा		विश्वविधालय/ संस्थान से स्नातक की डिग्री (ख) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हों	के ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान, जिसका निर्धारण परीक्षा द्वारा किया जाएगा; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक या समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण सहित फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर के ग्रेड में दस	उपक्रमों और सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जो - (क) समान पद धारित करते हों, या	अध्यक्ष – सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– (क) संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप- सलाहकार (एएंडपी) (ख) संयुक्त सलाहकार या उप-

क्र.सं.	ग्रेड		हेतु	अपेक्षित योग्यता		प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	चयन समिति की संरचना
(13)		शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	से अधिक नहीं	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (ख) कौशल परीक्षा — (i) श्रुतलेखन: दस मिनट @ सौ शब्द प्रति मिनट (ii) प्रतिलेखन: चालीस मिनट (अंग्रेजी), पचपन मिनट (हिन्दी) केवल कंप्यूटर पर		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जो - (क) समान पद धारित करते हों; या	(एएंडपी) सदस्य– (क) संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप-सलाहकार (एएंडपी) (ख) संयुक्त सलाहकार या उप-सलाहकार
	श्रेणी	शत-प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा	लागू नहीं		निम्नलिखित योग्यताओं सिहत मल्टी टॉस्किंग स्टाफ के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा: (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक या समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण; और (ख) अंग्रेजी/हिंदी में न्यूनतम टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट या कंप्यूटर चलाने में दक्षता, जिसका निर्धारण परीक्षा द्वारा किया जाएगा।		अध्यक्ष – संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप-सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– प्रभागों के दो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी प्रभाग के अलावा)

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा अवधि	प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	चयन समिति की संरचना
	स्टाफ कार ड्राइवर (स्पेशल ग्रेड)	शत-प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लेवल-5 में स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड- I) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा	लागू नहीं	अध्यक्ष – संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप-सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– प्रभागों के दो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी प्रभाग के अलावा)
	स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I)	शत-प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लेवल- 4 में स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड- II) के ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा; या स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड- II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) के ग्रेड में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया होना चाहिए।	लागू नहीं	अध्यक्ष – संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप-सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– प्रभागों के दो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी प्रभाग के अलावा)

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	हेतु अधिकतम	``		प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	चयन समिति की संरचना
		शत-प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा	लागू नहीं		लेवल-2 में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) के ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा, तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया होना चाहिए।		अध्यक्ष – संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप-सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– प्रभागों के दो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी प्रभाग के अलावा)

(18)	स्टाफ	शत-प्रतिशत पद	तैंतीस वर्ष	(क) आठवीं कक्षा	लागू नहीं	लागू नहीं	अध्यक्ष – संयुक्त
	कार	सीधी भर्ती द्वारा		उत्तीर्ण			सलाहकार (एएंडपी)
	ड्राइवर			(ख) मोटर कार का			या
	(साधरण			वैध ड्राइविंग			उप-सलाहकार
	ग्रेड)			लाइसेंस			(एएंडपी)
				(ग) मोटर मशीनरी			सदस्य – प्रभागों के
				के ज्ञान (वाहनों की			दो वरिष्ठ अनुसंधान
				छोटी-मोटी			अधिकारी (ए एंड पी
				खराबियों को ठीक			प्रभाग के अलावा)
				करने में समर्थ होना			
				चाहिए) का निर्धारण			
				परीक्षा द्वारा किया			
				जाएगा			
				(घ) मोटर कार			
				चलाने का कम से			
				कम तीन वर्ष का			
				अनुभव			

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा अवधि	प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	चयन समिति की संरचना
	फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर	शत-प्रतिशत पद सीघी भर्ती द्वारा	इकतीस वर्ष	(क) मैट्रिक उत्तीर्ण (ख) फोटोकॉपी मशीन चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव	लागू नहीं		अध्यक्ष – संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप-सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– प्रभागों के दो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी प्रभाग के अलावा)
` ′	डिस्पैच राइडर	शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा	बत्तीस वर्ष	(क) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ख) मोटरसाइकिल/ ऑटो रिक्शा का वैध ड्राइविंग लाइसेंस; और (ग) मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा की मशीनरी के ज्ञान (वाहन की छोटी- मोटी खराबियों को	लागू नहीं		अध्यक्ष – संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप-सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– प्रभागों के दो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी प्रभाग के

		ठीक करने में समर्थ		अलावा)
		होना चाहिए) का		
		निर्धारण परीक्षा		
		द्वारा किया जाएगा;		
		और		
		(घ) मोटरसाइकिल		
		या ऑटो रिक्शा		
		चलाने का कम से		
		कम दो वर्ष का		
		अनुभव; और		
		(ड़) अंग्रेजी और		
		हिंदी पढ़ने की		
		योग्यता का निर्धारण		
		परीक्षा द्वारा किया		
		जाएगा		

क्र.सं.	ग्रेड	और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव		प्रतिनियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता और अनुभव	चयन समिति की संरचना
	टॉस्किंग स्टाफ	रिक्तियों का प्रतिशत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सहित शत- प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा	(क) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ख) सीधी भर्ती के लिए अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की योग्यता का निर्धारण परीक्षा द्वारा किया जाएगा	लागू नहीं		अध्यक्ष – संयुक्त सलाहकार (एएंडपी) या उप-सलाहकार (एएंडपी) सदस्य– प्रभागों के दो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी प्रभाग के अलावा)

नोट 1 — दूरसंचार में फिक्स्ड, मोबाइल और कन्वर्ज्ड नेटवर्क से संबंधित मामलों को देखने वाले प्रधान सलाहकार/ सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/उप-सलाहकार/विरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और/या दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिग्री एवं दूरसंचार क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव होना, पदोन्नति/प्रतिनियक्ति/आमेलन, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए अनिवार्य योग्यता होगी।

नोट 2 — नोट 1 के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों से संबंधित प्रधान सलाहकार/सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/ उप सलाहकार/ विरष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बिजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन/ अर्थशास्त्र /वाणिज्य/ इंजीनियरिंग/ विधि/ विज्ञान/ मानविकी में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया / इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सदस्यता, जैसा भी मामला हो, और संबंधित क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव होना, पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य योग्यता होगी।

नोट 3— इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता के मानदंडों को पूरा करने मात्र से किसी भी व्यक्ति को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। अगले उच्चतर ग्रेड में रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर पदोन्नति के मामलों पर प्रशासनिक अनिवार्यता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

वंदना सेठी, सलाहकार (प्रशासन एवं आईआर)

[विज्ञापन-III/4/असा./508/2023-24]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2023

No. A-24/2/(2)/2023-A&P.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-section (1) of section 10, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (APPOINTMENT OF OFFICERS AND EMPLOYEES) REGULATIONS, 2023

(5 of 2023)

CHAPTER-I

PRELIMINARY

- **1. Short title and commencement** (1) These regulations shall be called the Telecom Regulatory Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2023.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
 - (b) "Appointing Authority" means the Chairperson, or the Member or officer to whom such powers and functions have been delegated by the Authority by general or special order;
 - (c) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act:
 - (d) "grade" means a grade as specified in regulations 3 and 4;
 - (e) "post" means any post in a grade, whether permanent or temporary, mentioned in the Schedule to these regulations;
 - (f) "rules" means rules made by the Central Government under section 35 of the Act;
 - (g) "Selection Committee" means a committee constituted in accordance with the Schedule to consider the selection of candidates for appointment as officers and other employees under these regulations.
- (2) The words and expressions used in these regulations and not defined herein, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them under the Act.
- **3. Constitution of officers cadre** (1) The officers cadre shall consist of any person
 - (a) absorbed at the time of initial constitution of the cadre of the Authority under regulation 4 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001);
 - (b) appointed to a post under regulation 5 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), after initial constitution of the cadre, including the officers permanently absorbed under regulation 10A of the said regulations; and
 - (c) appointed to a post, under regulation 6, regulation 7 and sub-regulation (2) of regulation 8 of these regulations, in any of the grades listed at sub-regulation (2).
- (2) There shall be the following grades in the officers' cadre of the Authority:

S.N.	Grade	Scale of Pay
1.	Secretary	
2.	Principal Advisor	
3.	Advisor	
4.	Joint Advisor	1) As per pay scales as determined by rules applicable from time to time
5.	Deputy Advisor/ Senior Principal Private Secretary	2) Other terms and conditions as
6.	Senior Research Officer/ Principal Private Secretary	prescribed by rules
7.	Technical Officer	
٠.	Section Officer/ Assistant Accounts Officer/ Librarian/ Private Secretary	

- (3) The Authority may, from time to time, decide the number of grades and posts in the officers' cadre, as it may deem necessary.
- **4.** Constitution of employees cadre– (1) The employees cadre shall consist of any person–
 - (a) absorbed at the time of initial constitution of the cadre of the Authority under regulation 15 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001);
 - (b) appointed to a post under regulation 16 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), after initial constitution of the cadre, including the staff permanently absorbed under regulation 21A of the said regulations; and
 - (c) appointed to a post, under regulation 6, regulation 7 and sub-regulation (2) of regulation 8 of these regulations, in any of the grades listed at sub-regulation (2).
- (2) There shall be the following grades in the employees' cadre of the Authority:

S.N.	Grade	Scale of Pay				
1.	Assistant/ Personal Assistant/ Junior Accounts Officer					
2.	Lower Division Clerk					
3.	Staff Car Driver (Special Grade)					
4.	Staff Car Driver (Grade-I)	As per pay scales as determined by rules applicable from time to time				
5.	Staff Car Driver (Grade-II)	2) Other terms and conditions as prescribed by rules.				
6.	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	2) Other terms and conditions as preserioed by fules.				
7.	Photocopy Machine Operator					
8.	Dispatch Rider					
9.	Multi Tasking Staff					

(3) The Authority may, from time to time, decide the number of grades and posts in the employees' cadre, as it may deem necessary.

CHAPTER-II

CONDITIONS AND PROCEDURE FOR APPOINTMENT

- **5. Methods of recruitment** (1) After the commencement of these regulations, if any vacancy arises in any of the grades specified in the Schedule to these regulations, or if a new post is created in any of the grades in the officers and employees cadres, the same shall be filled up in the manner specified in the Schedule.
- (2) Appointment in each case under sub-regulation (1) shall be on the recommendations of the Selection Committee as specified in the Schedule.
- (3) Unless otherwise provided in these regulations, the Authority may, from time to time, specify the procedure for appointment of any person to the officers and employees cadre.
- **6. Direct recruitment** Selection of candidates for appointment to various posts, which are to be filled up by direct recruitment as per the Schedule to these regulations, shall be made as per the conditions and procedure laid down below:-

- (a) the vacancies shall be advertised in at least two leading national dailies and on the website of the Authority;
- (b) a candidate must be a citizen of India or must belong to such categories of persons as may, from time to time, be notified by the Central Government;
- (c) no person -
- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (ii) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, -

shall be eligible for appointment to any post in the Authority:

Provided that the Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this clause;

- (d) minimum qualifications and age limit for appointment to a post by direct recruitment shall be as specified in the Schedule to these regulations;
- (e) orders and policies of the Central Government on reservation of posts for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections of citizens and other categories, as may be applicable at the time of calling of applications, will apply to these posts;
- (f) the selection process may include written test or technical assessment or interview or combination of these or any other process as determined by the Selection Committee:

Provided that the Authority may, where it considers expedient so to do, call candidates for technical assessment/ interview based on their performance in the national level examinations such as GATE, NET, PG-CLAT, etc.;

- (g) the final selection will be made by the Appointing Authority on the recommendations of the Selection Committee, which may give appropriate weightage to the performance in the selection process, qualifications and job experience of the candidate and such other criteria as it may deem fit;
- (h) the Authority, where it considers fit, may entrust the job of selection of suitable candidates to any professional agency engaged in such activity and in case of recruitment made through a government recruitment body, such as UPSC, SSC etc., the process of recruitment adopted by such body will be applicable;
- (i) the Appointing Authority may maintain a panel of names of suitable candidates, in accordance with their performance in the selection process, who may be offered employment against future vacancies:

Provided that a panel shall remain valid for a period not exceeding twelve months from the date of its approval by the Appointing Authority;

(j) a candidate who, after such medical examination as the Authority may specify, is not found to be in good mental or physical health, or is found to have any mental or physical deficiency which is likely to interfere with the discharge of the duties of the service, shall not be appointed to the post:

Provided that the medical examination of a candidate will not mean or imply selection or appointment;

(k) candidates appointed through direct recruitment process shall be on probation for a period of two years and shall be confirmed only if they have completed the period of probation and their services and conduct have been found by the Authority to be satisfactory:

Provided that the Appointing Authority may reduce or dispense with the period of probation, for reasons to be recorded in writing:

Provided further that an officer or employee shall be deemed to have been confirmed in the cadre on successful completion of the period of probation, unless the services or conduct of a candidate during the period of probation are not found to be satisfactory:

Provided also that in case the services or conduct of a candidate during the period of probation are not found to be satisfactory, the Authority may -

- (i) extend the period of probation, up to a period of one year, to provide the candidate an opportunity to improve; or
- (ii) terminate the services of such candidate after giving notice of one month or payment of substantive pay for one month in lieu thereof.
- **7. Promotion** Selection of candidates for appointment to various posts, which are to be filled up by promotion as per the Schedule to these regulations, shall be made as per the conditions and procedure laid down below:-
 - (a) appointment by promotion to different grades will be made from the respective lower grades as specified in the Schedule; and

- (b) the selection will be made by the Appointing Authority on the recommendations of the Selection Committee.
- **8. Deputation and permanent absorption** (1) Selection of candidates for appointment to various posts, which are to be filled up by deputation as per the Schedule to these regulations, shall be made as per the conditions and procedure laid down below:-
 - (a) the vacancies shall be widely circulated among such Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, and Statutory and Autonomous Bodies of the Central Government which are expected to have people with the qualifications and experience matching the requirements of the Authority and willing to join the Authority on deputation;
 - (b) officers borne on the cadre of the Authority and possessing requisite qualifications and experience may also be eligible for applying to the posts of Secretary, Principal Advisor and Advisor to be filled on deputation basis:

Provided that the age limit specified for selection by deputation shall not apply to such officers:

Provided further that in case an officer borne on the cadre of the Authority is selected and appointed on deputation basis under these regulations, his appointment shall be deemed to be promotion from the date of his joining the post to which he has been selected and the service rendered by such officer in the Authority, both before and after such appointment on deputation basis, shall be counted for grant of retirement benefits;

- (c) (i) The maximum age for persons to be appointed on deputation to the posts of Secretary, Principal Advisors and Advisors shall in no case exceed fifty-eight years as on the last date of submission of applications for filling up the posts, or as specified by the Central Government from time to time.
 - (ii) The maximum age for persons to be appointed on deputation to the posts of Joint Advisors, Staff Officer, Deputy Advisors, Senior Principal Private Secretary, Senior Research Officers, Principal Private Secretary, Technical Officers, Section Officer/Librarian, Private Secretary, Assistant and Personal Assistant shall in no case exceed fifty-six years as on the last date of submission of applications for filling up the posts, or as specified by the Central Government from time to time.
- (d) the selection shall be made on the recommendations of the Selection Committee, which may give appropriate weightage to the performance in the parent Ministry or Department or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Body, suitability and relative merit of the candidate, and such other criteria as it may deem fit; and
- (e) the appointment of a person on deputation basis to a post in the Authority shall not exceed five years:

Provided that the Authority may, where it considers it expedient so to do, extend the period of deputation of a person beyond five years, for such period and in such manner as specified by the Authority.

- (2) The Appointing Authority may, by appropriate order, appoint to a post, on permanent absorption basis, any person already appointed on the said post on deputation basis under sub-regulation (1),
 - (a) on the recommendations of the Selection Committee, which may have regard to the relative merit, suitability, requirement of such person in the Authority, and such other criteria as it may deem fit, and
 - (b) in consultation with the parent Ministry or Department or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Body, as the case may be:

Provided that no person shall be appointed on permanent absorption basis unless such person has, -

- (i) on being called upon to do so by the Authority, given, in writing, the willingness to get permanently absorbed in the Authority;
- (ii) been found to be free from disciplinary and vigilance angle; and
- (iii) completed at least one year of service on deputation in the Authority in that grade.
- **9. Pay fixation** The pay, on appointment in the Authority shall be fixed, as per the relevant rules or regulations or instructions as applicable to the appointee at the time of appointment.
- **10. Seniority** (1) The inter se seniority of persons appointed to the same grade on direct recruitment basis shall be determined by the order of merit assigned by the Selection Committee, and the persons appointed as a result of an earlier selection shall rank senior to those appointed as a result of a subsequent selection.
- (2) The inter-se seniority of persons appointed to the same grade on promotion basis shall be determined by their relative seniority in the lower grade from which they are promoted:

Provided that in case a person is considered unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the higher grade over the juniors who had superseded such person.

- (3) The inter-se seniority of the persons appointed to a grade, not covered under sub-regulation (1) and (2), shall be determined as per the rules applicable to the Central Government employees of the respective cadre, grade or class.
- (4) Fixation of seniority of a person appointed on absorption basis shall not affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption.
- (5) The seniority of a person not covered by the above provisions shall be determined by the Appointing Authority.
- (6) A list of all the officers and employees on the cadre of the Authority containing their names, in the order of their seniority, and such other particulars as may be determined by the Authority, shall be prepared and published on an annual basis at fixed intervals, and a copy of such list shall be provided to all officers and employees of the Authority.
- 11. Contractual appointment— Notwithstanding anything contained in these regulations, the Authority may appoint a person on contract basis on such terms and conditions, as may be specified by the Authority from time to time:

Provided that a person may be appointed on contract basis only in the exigency of work, to meet the requirements of the Authority in the short term, for a period not exceeding five years.

- **12. Liability for service in or outside India** An officer or employee appointed to the cadre shall be liable to serve anywhere in or outside India.
- 13. **Discharge of duties of higher grade and lower grade in certain cases** The Appointing Authority may, by order, having regard to the exigency of service, direct an officer or employee, while holding a post in a specific grade, to look after, for such period as may be specified in the order, the work and responsibilities of
 - (a) the next higher grade, without any pecuniary benefit; or
 - (b) the immediately lower grade, without any pecuniary or other loss.

CHAPTER III – MISCELLANEOUS

- **14. Power to relax** Where the Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- **15. Interpretation** If any queries relating to interpretation and consequent implementation of these regulations arise, they shall be decided by the Authority and such decision of the Authority shall be final and binding.
- **16. Removal of difficulties** The Authority may, from time to time, issue such general or specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these regulations.
- 17. Non-functional financial upgradation— (1) An official borne on the cadre of the Authority and holding the post of Advisor shall be eligible, subject to being found fit and suitable by the Authority, for financial upgradation to the next higher grade of Principal Advisor (L-15) upon completion of eight years of service in the Advisor grade (L-14) or any other equivalent grade.
- (2) An official borne on the cadre of the Authority and holding the post of Joint Advisor shall be eligible, subject to being found fit and suitable by the Authority, for financial upgradation to the next higher grade of Advisor (L-14) upon completion of eight years of service in the grade of Joint Advisor (L-13) or any other equivalent grade.
- (3) An official borne on the cadre of the Authority and holding the post of Private Secretary shall be eligible, subject to being found fit and suitable by the Authority, for financial upgradation to the non-functional grade of L-9 upon completion of four years of service in the grade of Private Secretary (L-7) or any other equivalent grade.
- (4) For the purpose of reckoning "eight years of service" or "four years of service" for financial upgradation mentioned in sub-regulation (1), (2), and (3), such service would mean any regular service in the relevant grade in the parent cadre of the officer or in any other organization or in the Authority.
- (5) The financial upgradation granted in terms of sub-regulation (1), (2), and (3) shall not be construed as promotion to higher grade and shall be on non-functional basis.
- **18. Repeal and saving** (1) The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said regulation shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.
- (3) The persons appointed before the commencement of the Telecom Regulatory Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2023, and holding post in the feeder grade, shall continue to be considered for promotion to such next higher post and all other provisions of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), as they stood before such commencement, shall continue to apply to such persons appointed before such amendment.

SCHEDULE

SN	Grade	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Maximum age limit for direct recruitment	Qualifications and experience required for direct recruitment	Length of service required for promotion		Composition of the Selection Committee
		Hundred percent of posts by deputation/ absorption	Not applicable	Not applicable	applicable	Autonomous Bodies, – (a) holding a post in the Level-15 on substantive basis; or (b) who have been granted non-functional	Chairperson — Chairperson of the Authority Members — Whole time Members of the Authority, if available

SN	Grade	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Maximum age limit for direct recruitment	Qualifications and experience required for direct recruitment	Length of service required for promotion	Qualifications and experience required for deputation	Composition of the Selection Committee
(2)	Advisor	Hundred percent of posts by deputation/absorption	Not applicable	Not applicable	applicable	Government, Public Sector Undertakings, and Statutory and Autonomous Bodies, – (a) holding equivalent post in Level-15 on regular basis; or	Chairperson – Chairperson of the Authority Members – Whole time Members of the Authority, if available
(3)		Hundred percent of posts by deputation/absorption	Not applicable	Not applicable	applicable	Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomo-us Bodies, – (a) holding equivalent post in Level-14 on regular basis; or (b) having four years of regular service in the	Chairperson – Chairperson of the Authority Members – Whole time Members of the Authority, if available

		Method of					
		recruitment and	Maximum	Qualifications	Length of service	Qualifications and	Composition
SN	Grade	percentage of the	age limit	and experience required for	required	experience required	of the
	31440	vacancies to be	for direct	direct	for	for deputation	Selection
		filled by various	recruitment	recruitment	promotion	_	Committee
		methods					
(4)	Joint Advisor	(a) Fifty percent of posts by promotion, failing which by deputation or absorption(b) Fifty percent by deputation	Not applicable	Not applicable	Five years of regular service in the grade of Deputy Advisor	(a) holding equivalent post in Level-13 on regular basis; or (b) five years of regular service in Level-12; or (c) having twelve years of regular service in Group A, and having held a post of level-12 for a minimum period	Chairperson – A Whole time Member of the Authority, or Secretary, if whole-time Member is not available Members – (a) Secretary (b) Advisors
(5)	Deputy Advisor	Hundred percent of posts by promotion, failing which by deputation or absorption	Not applicable	Not applicable	Four years of regular service in the grade of Senior Research Officer	Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies, – (a) holding equivalent post in Level-12 on	Chairperson – Secretary Members – (a) Advisor (A&P) (b) Advisor
(6)	Senior Principal Private Secretary	Hundred percent of posts by promotion, failing which by deputation or absorption	Not applicable	Not applicable	Four years of regular service in the grade of Principal Private Secretary	Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies, – (a) holding equivalent	Chairperson – Secretary Members – (a) Advisor (A&P) (b) Advisor

SN	Grade	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Maximum age limit for direct recruitment	Qualifications and experience required for direct recruitment	Length of service required for promotion	Qualifications and experience required for deputation	Composition of the Selection Committee
(7)	Senior Research Officer	Hundred percent of posts by promotion, failing which by deputation or absorption	Not applicable	Not applicable	Four years of regular service in the grade of Technical Officer	Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies (a) holding	Chairperson – Secretary Members – (a) Advisor (A&P) (b) Advisor
(8)	Private	Hundred percent of posts by promotion, failing which by deputation or absorption	Not applicable	Not applicable	service in the grade of Private	Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies, — (a) holding equivalent post in Level-11 in the grade	Chairperson – Secretary Members – (a) Advisor (A&P) (b) Advisor of the concerned division

		Method of					
SN	Grade	recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Maximum age limit for direct recruitment	Qualifications and experience required for direct recruitment	Length of service required for promotion	Qualifications and experience required for deputation	Composition of the Selection Committee
(9)	Officer	(a) Fifty percent of posts by promotion, failing which by deputation or absorption (b) Fifty percent of posts by direct recruitment failing which by deputation or absorption	Thirty years	graduation) from a recognized university or institution, provided that specific degree in	Three years of regular service in the grade of Section Officer	Public Sector Undertakings and	Chairperson – Secretary Members – (a) Advisor (A&P) (b) Advisor
(10)	Officer/	Hundred percent of posts by promotion, failing which by deputation or absorption	Not applicable	applicable	Six years of regular service in the grade of Assistant,	Autonomous Bodies, (a) holding equivalent post on regular basis; or	Chairperson – Advisor (A&P) Members – (a) Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) (b) Joint Advisor or Deputy Advisor
(11)	Secretary	Hundred percent of posts by promotion, failing which by deputation or absorption	Not applicable	applicable	Six years of regular service in the grade of Personal Assistant	Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies, (a) holding equivalent post on regular basis; or (b) six years of regular service in the grade of Personal Assistant	Chairperson – Advisor (A&P) Members – (a) Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) (b)Joint Advisor or Deputy Advisor or Deputy

SN	Grade	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods		recruitment	Length of service required for promotion	Qualifications and experience required for deputation	Composition of the Selection Committee
(12)		(a) Ninety percent of posts by direct recruitment (b) Ten percent of posts by promotion, failing which, by deputation or absorption	Not exceeding 30 years	Degree from a recognised University/ Institution. (b) Possessing working	regular service in the grade of Lower Division Clerk, with working knowledge of computers to be determined through test; or (b) ten years of regular service in the grade of Photo Copy Machine	Government, Public Sector Undertakings, and Statutory and Autonomous Bodies, – (a) holding equivalent post; or (b) having ten years of regular service in	Chairperson – Advisor (A&P) Members – (a) Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) (b)Joint Advisor or Deputy Advisor
(13)	Assistant	Hundred percent of posts by direct recruitment, failing which, by deputation or absorption	Not exceeding 30 Years	(a) Passed Twelfth Standard or equivalent examination from a recognized Board/ University (b) Skill Test- (i) Dictation: Ten Minutes @ Hundred words per minute (ii) Transcription: Forty Minutes (English), Fifty-five Minutes (Hindi) on Computer only.	Not applicable	Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies (a) holding equivalent post or (b) with six years of regular service in a grade immediately below. Having working knowledge of	(a) Joint Advisor (A&P) or

SN	Grade	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Maximum age limit for direct recruitment	Qualifications and experience required for direct recruitment	Length of service required for promotion	Qualifications and experience required for deputation	Composition of the Selection Committee
(14)	Lower Division Clerk	Hundred percent of posts by promotion	Not applicable	Not Applicable	Three years of regular service in the grade of Multi Tasking Staff, with the following: (a) matriculation or equivalent from a recognised board or institution; and (b) minimum typing speed of 30 w.p.m. in English/Hindi or proficiency in computer operation to be determined through test		Chairperson – Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) Members – Two Senior Research Officers from Divisions other than A&P Division
(15)	Staff Car Driver (Special Grade)	Hundred percent of posts by promotion	Not applicable	Not Applicable	Three years of regular service in the grade of Staff Car Driver (Grade-I) in Level – 5		Chairperson – Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) Members – Two Senior Research Officers from Divisions other than A&P Division
(16)	Staff Car Driver (Grade-I)	Hundred percent of posts by promotion	Not applicable	Not Applicable	Six years of regular service in the grade of Staff Car Driver (Grade-II) in Level – 4 or a combined service of fifteen years in the grades of Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade), having passed the trade test specified by the Government	Applicable	Chairperson – Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) Members – Two Senior Research Officers from Divisions other than A&P Division

SN (17)	Grade	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Maximum age limit for direct recruitment	Qualifications and experience required for direct recruitment	service required for promotion	Qualifications and experience required for deputation	Composition of the Selection Committee
	Driver (Grade-II)	Hundred percent of posts by promotion	Not applicable	Not Applicable	Nine years of regular service in the grade of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level – 2, having passed the trade test specified by the Government		Chairperson – Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) Members – Two Senior Research Officers from Divisions other than A&P Division
	Driver	Hundred percent of posts by direct recruitment	three years	(a) Passed 8 th standard (b) Valid driving licence for motor cars (c) Knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) to be determined through test (d)Minimum experience of three years in driving a motor car			Chairperson – Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) Members – Two Senior Research Officers from Divisions other than A&P Division
ľ	Machine	Hundred percent of posts by direct recruitment	years	(a) Matriculation (b)Minimum experience of one year in operating photocopy machines	Not applicable		Chairperson – Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) Members – Two Senior Research Officers from Divisions other than A&P Division

SN	Grade	Method of recruitment and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Maximum age limit for direct recruitment	Qualifications and experience required for direct recruitment	Length of service required for promotion	Qualifications and experience required for deputation	Composition of the Selection Committee
(20)	Dispatch Rider	Hundred percent of posts by direct recruitment	Thirty-Two years	(a) Passed Eighth standard; and (b) Valid driving licence for motorcycle/ auto rickshaw; and (c) Knowledge of motorcycle or auto rickshaw mechanism (to be able to remove minor defects in the vehicle) to be determined through test; and (d)Minimum experience of two years in driving a motorcycle or an auto rickshaw; and (e) Ability to read English and Hindi to be determined through test	Not applicable		Chairperson – Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) Members – Two Senior Research Officers from Divisions other than A&P Division
(21)	Multi Tasking Staff	Hundred percent of posts by direct recruitment, including compassionate appointment	Thirty Years	(a) Passed Eighth standard; and (b) Ability to read and write English to be determined through test for direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Chairperson – Joint Advisor (A&P) or Deputy Advisor (A&P) Members – Two Senior Research Officers from Divisions other than A&P Division

Note 1 — For the post of Principal Advisors/Advisors/Joint Advisors/Deputy Advisors/Senior Research Officers dealing with matters relating to Fixed, Mobile and Converged Networks in telecommunication, a Degree in Electronic Engineering, and/or Telecommunications Engineering from a recognized University would be an essential qualification for the persons appointed by promotion/ deputation/absorption, as the case may be, and possessing requisite experience in the telecommunication field.

Note 2 — For the post of Principal Advisors/Advisors/Joint Advisors/Deputy Advisors/Senior Research Officers dealing with matters not falling under Note 1, a Master/Bachelor's Degree in Business Administration/Economics/Commerce/Engineering/Law/Science/Humanities from a recognized University/institution or, membership of the Institute of Chartered Accountants of India/Institute of Cost and Works Accountants of India, as the case may be, would be an essential qualifications for the persons to be appointed by promotion/deputation/absorption, as the case may be, and possessing requisite experience in the relevant field.

Note 3— Mere fulfilment of eligibility criteria, as specified in these Regulations, will not confer a right upon any individual for claiming promotion to the next higher grade. Cases for promotion would be considered subject to administrative expediency keeping in view availability of vacancies in the next higher grade.

VANDANA SETHI, Advisor (Admin & IR)

[ADVT.-III/4/Exty./508/2023-24]